

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विविध-06-235/18...../राँची, दिनांक

—: शुद्धि पत्र :—

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-2589 दिनांक-09.08.19, 2590 दिनांक-09.08.19 एवं 2591 दिनांक-09.08.19 के प्रथम कंडिका में अंकित " दिनांक-08.01.19 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक " के स्थान पर " दिनांक-24.06.19 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक " पढ़ा जाय।

2. आदेश सं०-2590 दिनांक- 09.08.19 के क्रमांक-44 के स्तंभ-3 में अंकित " 13.04.88 " के स्थान पर " 19.04.88 " तथा स्तंभ-5 में अंकित " 13.04.18 " के स्थान पर " 19.04.18 " पढ़ा जाय।
3. उक्त आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत प्रभावी रहेगी।
4. प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव।

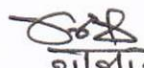
ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2696 राँची, दिनांक :- 21/8/19
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर/माननीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/विभागान्तर्गत विशेष सचिव/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-03 एवं 08/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/8/19
(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव